

## कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक - उनि/सशि/मुख्यमंत्री बजट धोषणा/डिजिटल लिटेसी/2015-18/57

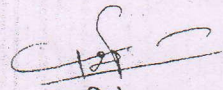
दिनांक - 24/09/2020

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,  
मुख्यालय माध्यमिक राज.

विषय:-अधीनस्थ कार्यालयों एवं विद्यालयों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा ईग्नू के माध्यम से विभिन्न पाठ्यक्रम यथा CIC/CIT/BCA/MCA/RS-CIT and course on computer concept (CCC) कोर्स इत्यादि के शुल्क पुनर्भरण के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक 56 दिनांक 07.09.2020

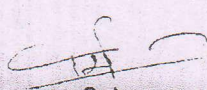
उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा ईग्नू के माध्यम से विभिन्न पाठ्यक्रम यथा CIC/CIT/BCA/MCA/RS-CIT and course on computer concept (CCC) कोर्स इत्यादि के शुल्क पुनर्भरण (वर्तमान एवं लम्बित) एवं प्रोत्साहन राशि नियमानुसार भुगतान पदस्थापन स्थल से करने के लिए बजट आवंटन बाबत जिले की समेकित सूचना निर्धारित प्रपत्र में चाही गई थी। उक्त क्रम यह स्पष्ट किया जाता है कि RS-CIT कम्प्यूटर कोर्स RKCL के माध्यम से संचालित है।

  
उपनिदेशक  
समाज शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर

प्रतिलिपि अग्रांकित को सूचनार्थ :-

1. समस्त मंडल संयुक्त निदेशक, राजस्थान ।
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, राजस्थान ।
3. लेखाधिकारी, बजट अनुभाग, कार्यालय हाजा ।
4. रक्षित पत्रावली ।

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

  
उपनिदेशक  
समाज शिक्षा राजस्थान

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक - उनि/सशि/मुख्यमंत्री बजट घोषणा/डिजिटल लिटेसी/2015-16/56

दिनांक - 07/09/2020

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,  
मुख्यालय माध्यमिक राज.

विषय:-अधीनस्थ कार्यालयों एवं विद्यालयों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा ईग्नू के माध्यम से विभिन्न पाठ्यक्रम यथा CIC/CIT/BCA/MCA/RS-CIT and course on computer concept (CCC) कोर्स इत्यादि के शुल्क पुनर्भरण के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक 49 दिनांक 11.11.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा ईग्नू के माध्यम से विभिन्न पाठ्यक्रम यथा CIC/CIT/BCA/MCA/RS-CIT and course on computer concept (CCC) कोर्स इत्यादि के शुल्क पुनर्भरण (वर्तमान एवं लम्बित) एवं प्रोत्साहन राशि नियमानुसार भुगतान पदस्थापन स्थल से करने के लिए बजट आवंटन बाबत जिले की समेकित सूचना निर्धारित प्रपत्र में चाही गई थी। कतिपय संस्था प्रधानों द्वारा इस क्रम में बजट आवंटन बाबत सीधे पत्र व्यवहार किया जा रहा है, जो स्वीकार्य नहीं है। जिले की समेकित सूचना आज दिनांक तक अप्राप्त है। पुनः निर्देशित किया जाता है कि:-

1. संस्था/कार्यालय को प्रत्येक कार्मिक जिसने CIC/CIT/BCA/MCA/RS-CIT के माध्यम से कोर्स किया है, के पुनर्भरण के लिए संस्थाप्रधान/कार्यालय अध्यक्ष को दिनांक 10.09.2020 तक आवेदन (आवश्यक दस्तावेज सहित) करेंगे। जिसके आधार पर संस्थाप्रधान/कार्यालय अध्यक्ष शाला दर्पण पोर्टल पर प्रपत्र 10 में प्रविष्टि करेंगे।
2. संस्थाप्रधान/कार्यालयाध्यक्ष प्रत्येक कार्मिक की शालादर्पण के प्रपत्र 10 में प्रविष्टि होने के बाद दिनांक 17.09.2020 तक विद्यालय की समेकित सूचना निर्धारित प्रपत्र में जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक को, इस प्रमाण पत्र के साथ प्रेषित करेंगे कि समेकित सूची में वर्णित प्रत्येक कार्मिक की कम्प्यूटर प्रशिक्षण योग्यता संबंधित प्रविष्टि शाला दर्पण पोर्टल पर प्रपत्र 10 में कर दी गयी है।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय) जिले की समेकित सूचना दिनांक 22.09.2020 तक संकलित एवं समेकित कर अग्रांकित प्रपत्र में इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

| क्र.सं | कार्यालय/ विद्यालय का नाम | कार्यालय/विद्यालय की आई.डी. | कार्मिकों की संख्या जिन्हें पुनर्भरण किया जाना है। |     |     |     |        | पुनर्भरण हेतु कुल राशि |
|--------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------|------------------------|
|        |                           |                             | CIC                                                | CIT | BCA | MCA | RS-CIT | CCC/ NIELIT            |

उक्त क्रम में उन्हीं पाठ्यक्रमों के लिए बजट की मांग की जाए जिनकी स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा पुनर्भरण हेतु मान्य की गई है। पुनर्भरण के लिए जिले की समेकित सूचना के साथ भी यह प्रमाण-पत्र संलग्न करें कि प्रत्येक संस्था प्रधान ने संबंधित समस्त कार्मिकों की कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त कर उत्तीर्ण करने की प्रविष्टि शाला दर्पण के प्रपत्र-10 में कर दी गई है। वांछित प्रमाण पत्र के अभाव में प्रशिक्षण शुल्क का पुनर्भरण संभव नहीं हो पाएगा। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें ताकि तदनुसार राज्य सरकार से बजट स्वीकृत करवाया जाए।

(सौरभ स्वामी)  
आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि अग्रांकित को सूचनार्थ :-

1. निजी सचिव, श्रीमान शासन सचिव, स्कूल शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. समस्त मंडल संयुक्त निदेशक, राजस्थान।
3. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, राजस्थान।
4. प्रबंधक निदेशक, आर.के.सी.एल. जयपुर।
5. लेखाधिकारी, बजट अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. रक्षित पत्रावली।

(सचिव)  
उपनिदेशक  
समाज शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर

कार्यालय का पता - निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर, दूरभाष - 0151-2544164 ईमेल - [socialedu.gov@gmail.com](mailto:socialedu.gov@gmail.com)

- 226 - C:\Users\Sunita Chawla\Desktop\bill folder\letter (2).doc